न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुभाष चंद्र

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का पौंख,

बनाम

श्री निवास लक्ष्मण कैलाश जगदीश पुत्रगण ग्यारसाराम व ग्यारसाराम पुत्र रेखाराम जाति माली निवासी पौंख तहसील उदयपुरवाटी

अर्तगत धारा 91 राज0 भू. राजस्व अधिनियम, 1956

–:निर्णय:–

प्रकरण संख्या:– 09/2021 दिनांक 24.09.2021

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का पौंख ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत 2078 में मौजा ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख के हाल भूमि खसरा नम्बर 480 कुल रकबा 0.43 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड़ मेंसे 0.0230 है0 सरकारी भूमि पर निवास लक्ष्मण कैलाश जगदीश पुत्रगण ग्यारसाराम व ग्यारसाराम पुत्र रेखाराम जाति माली निवासी पौंख ने अनाधिकृत रुप से अतिकमण किया हैं। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथीगण ने उपस्थित होकर अपना जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी ने अपने जबाब में उल्लेखित किया किया कि उक्त आराजी पर उनका कदीमी कब्जा है। जिन रिहायसी मकानात का निर्माण उनके पिताजी द्वारा किया हुआ है, रहने के लिए उक्त भूमि के अलावा उनके पास कोई अन्य भूमि उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण ने बिजली पानी के कनेक्शन भी होना उल्लेखित किया है। उक्त भूमि मौजा ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख के हाल भूमि खसरा नम्बर 480 कुल रकबा 0.43 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड़ मेंसे 0.0230 है0 भूमि पर अतिकमण करने के सम्बंध में किसी प्रकार का कदीमी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रुप अतिकमण करने के फलस्वरुप अतिक्रमि घोषित किया जाता हैं तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रुप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाके ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख के हाल भूमि खसरा नम्बर 480 कुल रकबा 0.43 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड़ मेंसे 0.0230 है0 भूमि पर से निवास लक्ष्मण कैलाश जगदीश पुत्रगण ग्यारसाराम व ग्यारसाराम पुत्र रेखाराम जाति माली निवासी पौंख को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 0.30 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 15/–रुपये (अक्षरे रू पन्द्रह मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू0अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि पर से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज **दिनांक 24.09.2021** को खुले इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

(सुभाष चंद्र)
तहसीलदार उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.03.30 12:44:31 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.03.30 12:44:31 IST
Reason: SelfAttested